



कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

यमुनापुरम, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर-203001, दूरभाष -(05732) 282437, फैक्स 280966

पत्रांक:- 7682

/वि0प्रा0/2020-21

दिनांक 25-11-2020

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

कालाआम कोठियात बुलन्दशहर पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बुलन्दशहर द्वारा निर्मित बुलन्द सिटी हेतु दिये गये पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 03.10.2020 को कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण कार्य स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुरूप एवं शमनीय सीमा के अन्तर्गत सही पाया गया है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 क (2) के अन्तर्गत उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 06.10.2020 को प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद/विवाद उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमेशा क्रियाशील रखना होगा।
3. सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम को हमेशा क्रियाशील रखना होगा।
4. पेड़-पौधों का रख-रखाव करना होगा।
5. अग्निशमन उपकरणों को हमेशा क्रियाशील रखना होगा।
6. एन0जी0टी0 के निर्देशों का पालन करना होगा।
7. सभी एन0ओ0सी0 पत्रों की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
8. भवन का उपयोग स्वीकृति के अनुरूप करना होगा।
9. यदि भविष्य में कोई देयता बनती है तो वह जमा करानी होगी।
10. यदि भविष्य में कोई एन0ओ0सी0 की आवश्यकता होगी तो वह देय होगी।
11. यदि भवन में कोई टूट-फूट इत्यादि होती है तो उसको तुरन्त ठीक कराना होगा।
12. आवंटियों को समस्त सर्विसिज की सुविधाओं को क्रियाशील रखना होगा।
13. भवन परिसर में दर्शित पार्क की भूमि पर स्थित दुकानों को हटाना होगा।

सचिव

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
बुलन्दशहर।